इटावा पुलिस

प्रेस नोट साइबर थाना
दिनांक 13.06.2024

थाना साइबर क्राइम पुलिस टीम द्वारा साइबर फ्रॉड यूपीआई के माध्यम से निकाले गये पीड़ित के 70,000/- रुपयों पर त्वरित कार्यवाही करते हुए शत प्रतिशत 70,000/- रुपये वापस कराये गये।

जनपद में साइबर फ्रॉड की रोकथाम हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संजय कुमार वर्मा द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम तथा अपर पुलिस अधीक्षक अपराध एवं क्षेत्राधिकारी अपराध के मार्गदर्शन में थाना साइबर क्राइम पुलिस टीम द्वारा साइबर फ्रॉड यूपीआई के माध्यम से निकाले गये पीडित के 70,000/- रुपयों पर त्वरित कार्यवाही करते हुए शत प्रतिशत 70,000/- रुपये वापस कराये गये।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

आवेदक धर्मेन्द्र कुमार मिश्रा पुत्र झन्डेलाल मिश्रा निवासी अडडा ऊसरा थाना फ्रेण्डस कालोनी जनपद इटावा द्वारा अपने साथ दिनांक 08.05.2024 को स्वयं के खाते से किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा साइबर फ्रॉड यूपीआई के जरिये 70,000/- रुपये निकाल लेने के संबंध में साइबर थाना पर प्रार्थना पत्र दिया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक (अपराध) के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी अपराध के कुशल मार्गदर्शन में थाना साइबर पुलिस टीम द्वारा द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए विभिन्न माध्यमों से साक्ष्य संकलन किये गये एवं बैंक अधिकारी पेमेन्ट गेटवे के नोडल अधिकारी इत्यादि से वार्ता कर आवेदक के रुपये वापस करने का प्रयास किया गया। जिसमें सफलता प्राप्त करते हुए दिनांक 13.06.2024 को पीड़ित के **शत प्रतिशत 70,000/- रुपये** वापस कराये गये हैं। साथ ही पुलिस टीम द्वारा पीडित को साइबर अपराधों से बचने के लिये जानकारी देकर जागरुक किया गया।

अपने रुपये वापस पाकर पीडित द्वारा प्रसन्नता जाहिर करते हुए थाना साइबर क्राइम पुलिस टीम व इटावा पुलिस की प्रशंसा की गई तथा थाना साइबर क्राइम पुलिस टीम का विशेष धन्यवाद ज्ञापित किया गया।

क्र0सं0	नाम वादी	वापस करायी गयी धनराशि
01	धर्मेन्द्र कुमार मिश्रा पुत्र झन्डेलाल मिश्रा	70,000/-

- थाना साइबर क्राइम जनपद इटावा द्वारा **वर्ष 2024 में अब तक कुल 8,04,125/- रुपये** की धनराशि वापस करायी गयी है।

पुलिस टीम- प्र0नि0 श्री तारिक खान, क0ऑ अभय यादव, का0 बृजेश गोला, का0 सुन्दरम सिंह चौहान, का0 उपेन्द्र चौहान, का0 आदित्य देओल, का0 सन्दीप सिंह व म0का0 मीनाक्षी तोमर ,थाना साइबर क्राइम जनपद इटावा।